उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 5544 रा0

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

धनबाद, दिनांकः– 07/09 / 2021

विषय :– शिकायत सं0–11210203300012 श्री बिनोद कुमार महतो, प्रखण्ड–तोपचाँची, जिला धनबाद मामले में पारित आदेश के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–533, दिनांक–17.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि शिकायत सं0–11210203300012 श्री बिनोद कुमार महतो, प्रखण्ड–तोपचाँची, जिला धनबाद से प्राप्त शिकायत के आलोक में पारित आदेश की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

7/9/21

अपर समाहर्त्ता
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,धनबाद।

(जिला राजस्व शाखा)

अभिलेख सं0–01 /2020

Sl. no	Date of order	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.10.2020	अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक–554,दिनांक–24.09.2020 द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समुह, लीलामनी देवी के विरूद्ध की गयी शिकायत की जाँच हेतु प्राप्त है। माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समुह, लीलामनी देवी एवं अचंल अधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तोपचाँची शिकायतकर्ता के साथ दिनांक–**13.10.2020** को उपस्थित होने के लिए नोटिश किया गया। उक्त सुनवाई तिथि को माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समुह, "संचालिका" श्रीमती लीलामनी देवी, शिकायतकर्त्ता कुल–12 कार्डधारियों के साथ उपस्थित हुए। कुछ कार्डधारियों के द्वारा सुनवाई के दौरान ब्यान दिया गया कि कुछ लोगों का कार्ड में नाम जोड़ने हेतु, कुछ लोगों से बिना तौल के कम राशन मिलने के कारण शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था परन्तु कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके नाम से किया गया हस्ताक्षर उनका नहीं है। साथ ही बताया गया कि दुकानदार के वितरण प्रणाली से सभी संतुष्ट है। शिकायतकर्ता स्वयं भी उपस्थित हुए, परन्तु अपने शिकायत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्डधारियों के ब्यान से स्पष्ट होता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समुह, लीलामनी देवी (जन वितरण प्रणाली दूकानदार) के विरूद्ध की गई शिकायत प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जन वितरण प्रणाली दुकानदार माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समुह, लीलामनी देवी पर लगाये गये आरोप निराधार है, तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। Sd/- 13/10/20 अपर समाहर्त्ता, धनबाद। Sd/- 13/10/20 अपर समाहर्त्ता धनबाद।	